प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–1557 /26–2–2010

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक 21 मई,2010

विषय:– समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2266/26–2–2009–4(392)/99 दिनांक 25 नवम्बर,2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार उक्त शासनादेश के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ–4 एवं 5 के अनुसार सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से प्रदान की गई ,थी, को संशोधित करते हुए उक्त लाभ दिनांक 01–01–2006 से अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो रू0 3200–4900, रू0 3200–5410 तथा रू0 2750/- नियत में कार्यरत है, को दिनांक 01जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होंगे:–

पुनरीक्षण पूर्व के वेतनमान/नियत वेतन (रू0)	दिनांक 01जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/नियत वेतन		
	वेतन बैण्ड का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
3200–85–5410	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
2750 नियत	रू0 7300 नियत		

3– उपरोक्त व्यवस्था इन शिक्षकों को समाज कल्याण विभाग द्वारा देय एक मुश्त अनुदान की धनराशि को आगणित/निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अनुमन्य की जा रही है, इसके आधार पर इन शिक्षकों द्वारा ऐसी किसी सुविधा का दावा अनुमन्य नहीं होगा जो उन्हें शासन द्वारा पूर्व से अनुमन्य नही है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–ई–3–916/दस/2010 दिनांक 21 मई,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

5– उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव।

पृष्ठांकनसंख्या– 1557 (1)/26–2–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त वेतन (आयोग) अनुभाग– 1/2
3. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3
4. समाज कल्याण अनुभाग–1/3
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।